बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

माननीय न्यायालय में जटिल एवं महत्वपूर्ण मामलों का पक्ष रखते समय कोई तकनीकी त्रुटि न रह जाय, इसके लिए सेवा निवृत पदाधिकारी/ अधिवक्ताओं की नियुक्ति अथवा पैनल गठित करने के निमित्त नामों के चयन हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में विभागीय स्क्रीनिंग समिति के गठन संबंधी अधिसूचना ज्ञापांक– 169 दिनांक– 5.2.2013 को संशोधित करते हुए निम्न रूपेण विभागीय स्क्रीनिंग समिति का पुनर्गठन किया जाता है :–

(1)	विभागीय मंत्री	–	अध्यक्ष
(2)	विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव	–	सदस्य
(3)	अपर सचिव	–	सदस्य
(4)	विधि मामलों के प्रभारी पदाधिकारी	–	सदस्य
(5)	संयुक्त सचिव/ उप सचिव	–	संयोजक

(2) संयोजक द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति अथवा पैनल गठित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायगा ।

(3) विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अधिवक्ता/ सेवा निवृत पदाधिकारी की नियुक्ति का पैनल के गठन हेतु नामों का चयन कर विधि विभाग भेजा जायगा । तत्पश्चात् विधि विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त अधिवक्ता/ सेवा निवृत पदाधिकारी की नियुक्ति या पैनल गठन संबंधी आदेश निर्गत किया जा सकेगा ।

(4) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/ 3/7/14
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
3/7/14

ज्ञापांक– 03/श्रम विधि– 07/2013 श्र0सं0– 121 पटना, दिनांक– 03/07/14

प्रतिलिपि– महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी संबंधित पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/ 3/7/14
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
3/7/14